/

द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड ए. एन. आर. वी.

यू. पी. स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ए. एन. आर. (2020 की सिविल अपील संख्या 4002)

/

08 दिसंबर, 2020

[आर**.** एफ**.** नरीमन और के**.** एम**.** जोसेफ**,** जे**.** जे**.]**

निविदा-छूट और प्रासंगिक तथ्यों को दबाने के आधार पर बोली को अस्वीकार करना-राज्य के लोक निर्माण विभाग ने यू. पी. एस. बी. सी., 'आर' बिल्डर्स और 'आर' कंस्ट्रक्शन कंपनी सहित उक्त परियोजना के लिए 11 कंपनियों की बोली-7.473 किलोमीटर की लंबाई के एलिवेटेड कॉरिडोर (फ्लाईओवर) के निर्माण के लिए निविदा (एन. आई. टी.) आमंत्रित करने का नोटिस जारी किया। 306.27 करोड़ इस आधार पर कि बोलीदाता ने परिशिष्ट-I-A के पैराग्राफ 13 और एन. आई. टी. के अनुलग्नक-I के खंड 7 (बी) के अंतर्गत आवश्यक जानकारी को दबा दिया-इसलिए, यू. पी. एस. बी. सी. की बोली को गैर-उत्तरदायी माना गया-इसी तरह, 'रा' कंस्ट्रक्शन कंपनी ने रु. 293.25 करोड़ ने खंड 2.2 के अंतर्गत मानदंडों को पूरा नहीं किया। 2.2((ii) एन. आई. टी. की अनुमानित परियोजना लागत के 25 प्रतिशत के 'एक समान काम' के लिए और इसलिए, गैर-उत्तरदायी माना जाता था-एक 'आर' बिल्डर ने रु। यू. पी. एस. बी. सी. द्वारा दायर रिट याचिका में उच्च न्यायालय ने कहा कि तकनीकी बोली जमा करने की तारीख तक, चूंकि अनुलग्नक-I के खंड 7 (बी) के अर्थ के भीतर कोई जांच लंबित नहीं थी, इसलिए तथ्यों का कोई दमन नहीं किया गया था, इस तथ्य के बावजूद कि उसके द्वारा पहले बनाए गए एक पुल के संबंध में उसके खिलाफ एक एफ. आई. आर. दर्ज की गई थी और पुल गिरने से लोगों की मौत हो गई थी और लोग घायल हो गए थे-उच्च न्यायालय ने यू. पी. एस. बी. सी. के पक्ष में आशय पत्र जारी करने का निर्देश दिया-जहां तक 'रा' निर्माण कंपनी द्वारा दायर रिट याचिका का संबंध है, उच्च न्यायालय ने खंड 2 का उल्लेख किया।2.2((ii) एन. आई. टी. की और यह अभिनिर्धारित किया कि राज्य की अस्वीकृति में कुछ भी गलत नहीं था-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाःयू. पी. एस. बी. सी. सही है जब वह उस प्रारूप का उल्लेख करता है और उस पर निर्भर करता है जिसका सख्ती से पालन किया जाना था और घोषणा प्रदान करने के लिए प्रारूप के शाब्दिक पठन द्वारा जाना था, जिसमें केवल एन. आई. टी. के अनुलग्नक-I के खंड 7 (बी) के अंतर्गत लंबित जांच का खुलासा करने की आवश्यकता थी-हालाँकि, परिशिष्ट-I-A के पैराग्राफ 13 को उसके पैराग्राफ 11 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जिसमें बोली लगाने

वाले को यह प्रमाणित करने की आवश्यकता होती है कि देश की सुरक्षा और अखंडता के अलावा अन्य मामलों के संबंध में,

/

/

/

/

/

/

821 ए.

822 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 11 एस. सी. आर.

बोलीदाता को किसी न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया था या अभ्यारोपित नहीं किया गया था-स्पष्ट रूप से, तत्काल मामले में, हालांकि जांच अब लंबित नहीं थी और हालांकि किसी न्यायालय द्वारा कोई दोषसिद्धि नहीं हुई थी, यूपीएसबीसी को निश्चित रूप से 'अभ्यारोपित' किया गया था, इसमें, उसके खिलाफ एक आरोप-पत्र दायर किया गया था जो प्राथमिकी से संबंधित था-इसलिए, एक सबसे प्रासंगिक तथ्य को छोड़ दिया गया है और उसी तथ्य का दमन किया गया है, अर्थात् कि उसके द्वारा एक पुल के निर्माण के संबंध में यूपीएसबीसी के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी-परिणामस्वरूप, यूपीएसबीसी अयोग्य है-जहां तक 'रा' निर्माण का संबंध है, यह एक संवैधानिक न्यायालय के लिए निविदा प्राधिकरण के दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित करने के लिए खुला नहीं होगा, जब वह खंड 2.2 पढ़ता है।2.2(ii) जिस तरह से किया गया था-इसलिए, राज्य ने 'आर' बिल्डरों को आशय पत्र जारी करने का निर्देश दिया, जहां तक वर्तमान निविदा का संबंध है, उसी वित्तीय बोली पर जो यूपीएसबीसी की है।

/

/

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ,

अभिनिर्धारित किया **:1.** यह स्पष्ट है कि यू. पी. एस. बी. सी. विधि है जब वह इस प्रस्ताव के लिए कैराटेल इन्फोटेक न्यायालय का उल्लेख करता है और उस पर निर्भर करता है कि जहां एक प्रारूप है जिसका सख्ती से पालन किया जाना था, उसके मुवक्किल को उपरोक्त प्रारूप के शाब्दिक पठन द्वारा जाना उचित था, जिसमें केवल एन. आई. टी. के अनुलग्नक **I** के खंड **7 (**बी**)** के अंतर्गत लंबित जांच का खुलासा करने की आवश्यकता थी। हालाँकि,

जैसा कि अतिरिक्त महाधिवक्ता और 'आर' बिल्डरों द्वारा विधि ढंग से बताया गया है कि अनुलग्नक **I** के खंड **7 (**बी**),** जो कि परिशिष्ट **I** के अनुच्छेद **13** के समान है**,** को उसके पैराग्राफ **11** के साथ पढ़ा जाना चाहिए**,** बोली लगाने वाले को यह प्रमाणित करने की आवश्यकता है कि सुरक्षा के अलावा अन्य मामलों के संबंध में।स्पष्ट रूप से वर्तमान मामले के तथ्यों में**,** हालांकि जांच अब लंबित नहीं है और हालांकि विधि की अदालत द्वारा कोई दोषसिद्धि नहीं है**,** यूपीएसबीसी को निश्चित रूप से "अभ्यारोपित" किया गया है**,** इसमें इसके खिलाफ एक आरोप पत्र दायर किया गया है जो दिनांकित **15.05.2018** की प्राथमिकी से संबंधित है जिसमें एक मुकदमा लंबित है**,** हालांकि उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई है। इसके अलावा**,** अतिरिक्त महाधिवक्ता यह कहने में सही हैं कि एन**.** आई**.** टी**.** के खंड **4.3 (**बी**)** में परिभाषित "धोखाधड़ी प्रथा" में बोली प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए तथ्यों को छोड़ना या अधूरे तथ्यों का खुलासा शामिल होगा।वर्तमान मामले के तथ्यों में**,** स्पष्ट रूप से एक सबसे प्रासंगिक तथ्य को छोड़ दिया गया है और उसी तथ्य का दमन किया गया है**,** अर्थात् ए के संबंध में यूपीएसबीसी के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

/

/

/

/

/

823

द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड ए. एन. आर. v.यू. पी. स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ए. एन. आर.

इसके पास एक पुल का निर्माण**,** जो ढह गया था**,** और जिसमें एक आरोप पत्र दायर किया गया था।**[**पैरा **19] [841-**एच**; 842-**ए-डी**]2.** यू**.** पी**.** एस**.** बी**.** सी**.** के इस तर्क को स्वीकार करते हुए कि यह केवल अनुलग्नक **I** के खंड **7 (**बी**)** के आवेदन पर गैर**-**उपयुक्त रहा है**,** तकनीकी मूल्यांकन समिति के दिनांकित **<**आई**.** डी**. 1** के आदेश के संदर्भ में यू**.** पी**.** एस**.** बी**.** सी**.** की बोली को गैर**-**उत्तरदायी घोषित करने से पता चलता है कि यह विशेष रूप से तकनीकी बोली और उसके पैराग्राफ **13** वाले परिशिष्ट आई**.** ए**.** को भी संदर्भित करता है।यह न्यायालय पहले ही अभिनिर्धारित कर चुका है कि अनुच्छेद **13** को अनुच्छेद **11** के साथ पढ़ा जाना चाहिए**,** जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक व्यक्ति जिसे आपराधिक अपराध के लिए "अभ्यारोपित" किया गया है**,** उसे अभियोग के तथ्य का खुलासा करना होगा।अस्वीकृति आदेश के आधार पर एक तकनीकी आपत्ति को एक सबसे भौतिक तथ्य के दमन के सामने

प्रबल होने की अनुज्ञात नहीं दी जा सकती है, जो कि यूपीएसबीसी द्वारा एक पुल के निर्माण से संबंधित एक प्राथमिकी है, जो ढह गई है।[पैरा **21] [843-**ए-सी]

/

/

3. जनहित कारक पर आते हैं, और तथ्य यह है कि यूपीएसबीसी की वित्तीय बोली लगभग रु। 'आर' बिल्डरों की तुलना में **9** करोड़ रुपये कम, स्टिंग को हटा दिया गया है क्योंकि 'आर' बिल्डर आसानी से स्वीकार करते हैं कि यदि, यूपीएसबीसी के अयोग्य होने के परिणामस्वरूप, उनके मुवक्किल को निविदा से सम्मानित किया जाना है, तो वह उसी राशि पर ऐसा करेगा जो यूपीएसबीसी की वित्तीय बोली है। इन सभी कारणों से, दिनांकित **15.06.2020 (**यूपीएसबीसी द्वारा दायर रिट याचिका में**)** के आक्षेपित निर्णय को दरकिनार कर दिया गया है।[पैरा **22] [843-**सी-डी]

/

/

4. जहाँ तक 'रा' कंस्ट्रक्शन कंपनी का संबंध है, उच्चतम न्यायालय के सभी निर्णयों के अनुसार, एक संवैधानिक न्यायालय के लिए यह खुला नहीं होगा कि वह निविदा प्राधिकरण के दृष्टिकोण के बारे में अपने विचार को प्रतिस्थापित करे, जब वह खंड **2.2** पढ़ता है।**2.2((ii)** जिस तरह से किया गया है।यह कहने के लिए पर्याप्त है कि "कम से कम एक समान काम" अभिव्यक्ति का अर्थ संभवतः केवल एक ही ऐसा काम हो सकता है, अर्थात् एक ऐसे पुल का निर्माण और दो ऐसे पुलों का निर्माण नहीं, भले ही एक ही निविदा दस्तावेज के अंतर्गत दो पुलों का निर्माण किया जाना था।इसलिए, इस न्यायालय के लिए यह कहना संभव नहीं है कि निविदा प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त खंड का निर्माण एक असंभव है जो इसे विकृत बनाता है।इसके अलावा, 'आर' बिल्डर का तर्क, हालांकि पहली बार यहां दिया गया है, मध्य प्रदेश राज्य का समर्थन करता है, क्योंकि समझौते के अंतर्गत दो सड़क पुलों का निर्माण किया गया है।

/

/

/

/

डी. एफ. सी. सी. आई. एल. और 'रा' कंस्ट्रक्शन कंपनी के बीच केवल **2380** मीटर की अवधि है, जो निश्चित रूप से **7.473** किलोमीटर के **50** प्रतिशत से भी कम है।इन कारणों से, यह न्यायालय 'रा' कंस्ट्रक्शन कंपनी की एसएलपी को खारिज कर देता है और 'रा'

कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा दायर रिट याचिका में 'आई**.** डी**. 1**' दिनांकित निर्णय और 'आई**.** डी**. 2**' दिनांकित समीक्षा निर्णय को बरकरार रखता है।**[**पैरा **23] [843-**डी**-**जी**]**

/

टाटा सेल्युलर बनाम भारत संघ **(1994) 6** एस**.** सी**.** सी**. 651:**

[1994] 2 पूरक।एससीआर 122; जगदीश मंडल बनाम उड़ीसा राज्य (2007) 14 एससीसी 517:[2006] 10 पूरक।

एस**.** सी**.** आर**. 606;** सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाम**.**एसएलएल**-**एस**.** एम**.** एल**. (**संयुक्त**)**

वेंचर कंसोर्टियम) (2016) 8 एससीसी 622:[2016] 4

/

एस**.** सी**.** आर**. 890;** एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम**.**नागपुर मेट्रो

रेल कार्पोरेशन।लिमिटेड (2016) 16 एस. सी. सी. 818:[2016] 3 एस. सी. आर. 551-निर्भर।

विनूभाई हरिभाई मालवीय बनाम गुजरात राज्य **(2019) 17** एससीसी **1;** बैंक ऑफ इंडिया बनाम के**.** मोहनदास **(2009) 5** एससीसी

/

313 :[2009] 5 एससीआर **118-**लागू नहीं होता है।

सिकरी।, विभाग.गृह सचिव।, ए. पी. वी.बी. चिन्नाम नायडू

(2005) 2 एससीसी **746:[2005] 1** एससीआर **1147-**प्रतिष्ठित।

कैरेटेल इन्फोटेक लिमिटेड बनामहिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन।लि.

(2019) 14 एससीसी 81:[2019] 6 एससीआर 950; बैंक ऑफ इंडिया बनाम के. मोहनदास (2009) 5 एससीसी 313:[2009] 5 एससीआर 118;

/

मोंटेकार्लो लिमिटेड बनामएनटीपीसी लिमिटेड **(2016) 15** एससीसी **272:**

[2016] 8 एस**.** सी**.** आर**. 224-**संदर्भित।संदर्भित निर्णय

/

[2019] 6 एससीआर **950**

संदर्भित

पैरा **10**

[2005] 1 एससीआर **1147**

संदर्भित

पैरा **10**

[2009] 5 एससीआर **118**

संदर्भित

पैरा **10**

[1994] 2 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 122** पैरा **13 [2006] 10** सप्लीमेंट पर निर्भर था। एससीआर **606** पैरा **14 [2016] 4** एससीआर **890** पैरा **15 [2016] 3** एससीआर **551** पर निर्भर था

/

पर विश्वास किया

पैरा **16**

[2016] 8 एससीआर **224**

संदर्भित

पैरा **17** ए

/

825

द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड ए. एन. आर. वी.यू. पी. स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ए. एन. आर.

[2005] 1 एससीआर **1147** विशिष्ट पैरा **20 (2019) 17** एससीसी **1**

लागू न होने वाला पैरा **20 [2009] 5** एससीआर **118** लागू न होने वाला पैरा **20**

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2020 की सिविल अपील संख्या 4002।

/

2020 के डब्ल्यू. पी. संख्या 6681 में इंदौर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ के दिनांकित 15.06.2020 के निर्णय और आदेश से।

सह

2020 की सिविल अपील संख्या 4003 और 2020 की सिविल अपील संख्या 4004-4005।

/

सौरभ मिश्रा, एएजी, अनुपम लाल दास, ध्रुव मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता।, रवींद्र सिंह छाबड़ा, दीपेश सिन्हा, पुनीत जैन, सुश्री क्रिस्टी जैन, सनी चौधरी, मनोज मुंशी, मिहिर मोदी, धवल मेहरोत्रा, सुधांशु सिक्का, मेसर्स के. अशर एंड कंपनी, शेखर शर्मा, बी. रमण मूर्ति, अधिवक्ता।उपस्थित पक्षकारों के लिए।

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. एफ. नरीमन, जे.

1. अनुमति दी गई।

/

2. ये अपीलें मध्य प्रदेश राज्य, लोक निर्माण विभाग ["पीडब्ल्यूडी"] द्वारा दिनांक 02.12.2019 पर निविदा ["एन. आई. टी".] आमंत्रित करने वाले एक नोटिस से संबंधित हैं। एन. आई. टी. मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर जिले में एल. आई. जी. स्क्वायर से नवलखा स्क्वायर (पुराना एन. एच. 3) ए-बी रोड तक एक एलिवेटेड कॉरिडोर (फ्लाईओवर) के निर्माण के लिए था, जिसकी लंबाई 7.473 किलोमीटर थी।इस काम की अनुमानित लागत रु। 272.66 करोड़, बरसात के मौसम सहित 24 महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाना है।एन. आई. टी. के विभिन्न भाग महत्वपूर्ण हैं और इनका उल्लेख नीचे किया गया हैः

/

3. धारा-2 अंतर्गत खंड ए अंतर्गत "सामान्य", उप-खंड 2 अंतर्गत "बोली लगाने वालों को निर्देश"।4 इस प्रकार पढ़ता हैः“ 2.1.4 बी. आई. डी. को परिशिष्ट-I अर्थात परिशिष्ट आई. ए. के अनुसार तकनीकी बोली और परिशिष्ट आई. बी. के अनुसार वित्तीय बोली के अनुरूप प्रारूप में प्रस्तुत किया जाएगा। बी. आई. डी. राशि को वित्तीय बोली के निर्धारित प्रारूप में भारतीय रुपये में आंकड़ों और शब्दों दोनों में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा और इस पर बोलीदाता के अधिकृत द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

/

हस्ताक्षरकर्ता।अंकों और शब्दों के बीच किसी भी अंतर की स्थिति में, शब्दों में दर्शाई गई राशि को ध्यान में रखा जाएगा।" खंड 2.2।2.2((ii) निम्नलिखित रूप में पढ़ता है:

" 2.2.2.2 तकनीकी क्षमता

XXX XXX XXX

/

(सामान्य राजमार्ग परियोजनाओं के लिए **(**प्रमुख पुलों/आरओबी/फ्लाईओवरों/सुरंगों सहित**):**

बशर्ते कि अनुमानित परियोजना लागत के 25 प्रतिशत का कम से कम एक समान काम रु। 68.17 करोड़ (Rs.Sixty केवल आठ करोड़ सत्रह लाख) खंड 2.2.2.5 में निर्दिष्ट श्रेणी 1 और/या श्रेणी 3 में योग्य परियोजनाओं से पूरे किए गए होंगे।इस उद्देश्य के लिए, एक परियोजना को पूरा माना जाएगा, यदि काम के मूल्य का 90 प्रतिशत से अधिक पूरा हो चुका है और काम का ऐसा पूरा मूल्य अनुमानित परियोजना लागत के 25 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक है। यदि कोई बड़ा पुल/आरओबी/फ्लाईओवर/सुरंग परियोजना का हिस्सा है, तो एकमात्र बोलीदाता या यदि बोलीदाता एक संयुक्त उद्यम है, तो संयुक्त उद्यम का कोई भी सदस्य अनिवार्य रूप से बोली की नियत तारीख से पहले पिछले 5 (पांच) वित्तीय वर्षों में प्रमुख पुल/आरओबी/फ्लाईओवर/सुरंग के निर्माण में अतिरिक्त अनुभव प्रदर्शित करेगा, यानी इस परियोजना में प्रस्तावित संरचना की सबसे लंबी अवधि के 50 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक अवधि वाले कम से कम एक समान प्रमुख पुल/आरओबी/फ्लाईओवर को पूरा कर लिया होगा और सुरंग के मामले में, यदि कोई हो, तो कम से कम एक सुरंग का निर्माण पूरा कर लिया होगा जिसमें सड़कों/रेलवे/मेट्रो रेल/सिंचाई/पनबिजली के लिए एकल या जुड़वां ट्यूब (सुरंगों सहित) शामिल हैं।इस परियोजना में कम से कम 50 प्रतिशत क्रॉस-सेक्शनल क्षेत्र और सुरंग की 25 लंबाई का निर्माण किया जाना है। "

/

/

/

/

खंड 2.2.2.5 इस प्रकार बताता हैः“ 2.2 .2.5 तकनीकी क्षमता के मूल्यांकन के लिए श्रेणियां और कारकः

/

((i) खंड 2.2 के प्रावधानों के अधीन।2 अनुभव की निम्नलिखित श्रेणियां खंड 2.2.6 (i) और (ii) (ए) में निर्धारित योग्य परियोजनाओं के संबंध में तकनीकी क्षमता और योग्य अनुभव ("योग्य अनुभव") के रूप में अर्हता प्राप्त करेंगी।

/

827

द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड ए. एन. आर. वी.यू. पी. स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ए. एन. आर. [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

“योग्य परियोजनाएं ")।यदि बोलीदाता के पास विभिन्न श्रेणियों में अनुभव है, तो प्रत्येक श्रेणी के लिए अनुभव की गणना निम्नलिखित कारकों के वजन के अनुसार की जाएगी ताकि इसके समग्र योग्य अनुभव पर पहुंचा जा सकेः

श्रेणी	योग्य परियोजनाओं पर परियोजना/निर्माण का अनुभव	कारक
1	राजमार्ग क्षेत्र में परियोजना जो खंड 2.2.2.6 (i) के अंतर्गत अर्हता प्राप्त करती है	1
/	खंड 2.2.2.6 (i) के अंतर्गत अर्हता प्राप्त मुख्य क्षेत्र में परियोजना	0.7
3	राजमार्ग क्षेत्र में निर्माण जो खंड 2.2.2.6 (ii) के अंतर्गत योग्य है।	1
/	खंड 2.2.2.6 (i) के अंतर्गत अर्हता प्राप्त मुख्य क्षेत्र में निर्माण	0.7

/

/

(ii) एक विकसित देश में स्थित एक योग्य परियोजना के संबंध में तकनीकी क्षमता जो OECD का सदस्य है, को 0.5 (शून्य बिंदु पाँच) के कारक से गुणा किया जाएगा और उसका उत्पाद ऐसी योग्य परियोजना के लिए अनुभव अंक होगा। "

/

खंड 2.6 के अंतर्गत 2(क), अधिकारियों ने निम्नलिखित आधारों पर किसी भी बोली को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखाः

/

“ 2.6.2 प्राधिकरण के पास किसी भी बी. आई. डी. को अस्वीकार करने और बी. आई. डी. प्रतिभूति को उपयुक्त बनाने का अधिकार सुरक्षित है यदिः

(क**)** किसी भी समय**,** एक भौतिक गलत निरूपण किया जाता है या उजागर किया जाता है**,** या "।

/

"तकनीकी बाधाओं का मूल्यांकन और वित्तीय बाधाओं का उद्घाटन और मूल्यांकन" शीर्षक वाली धारा-3 के अंतर्गत खंड 3.1.1 और 3.1.2 निम्नानुसार बताते हैंः

“ 3.1.6.प्रतिक्रियाशीलता के परीक्षण

3.1 .6.1 तकनीकी बी. आई. डी. के मूल्यांकन की दिशा में पहले कदम के रूप में, प्राधिकरण यह निर्धारित करेगा कि क्या प्रत्येक तकनीकी बी. आई. डी. इस आर. एफ. पी. की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी है। तकनीकी बी. आई. डी. को केवल तभी उत्तरदायी माना जाएगा जबः

/

(क) तकनीकी बी. आई. डी. परिशिष्ट-आई. ए. में अनुबंध I, IV, V और VI (बोली क्षमता प्रारूप) सहित प्रारूप के अनुसार ऑनलाइन प्राप्त की जाती है;

/

(ख**)** खंड **2.11** में सूचीबद्ध दस्तावेज।**2** सी**.** पी**.** पी**.** पी**.** पर भौतिक रूप से प्राप्त किए जाते हैं जैसा कि उल्लेख किया गया है**;**

(ग**)** तकनीकी बोली खंड **1.2** में निर्दिष्ट बी**.** आई**.** डी**.** प्रतिभूति के साथ होती है।**4** और **2.20;**

(घ**)** पावर ऑफ अटॉर्नी को ई**-**खरीद पोर्टल पर अपलोड किया जाता है जैसा कि खंड **2** में निर्दिष्ट किया गया है।**5;**

/

(ङ) तकनीकी बोली के साथ संयुक्त उद्यम के प्रमुख सदस्य के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी और खंड 2 में निर्दिष्ट संयुक्त बोली समझौता होता है।6, यदि आवश्यक हो;

(च**)** तकनीकी बोली में सभी जानकारी **(**सभी मामलों में पूर्ण**)** होती है**;**

/

(छ**)** तकनीकी बोली में कोई शर्त या योग्यता नहीं है**;** और

(ज) मुख्य अभियंता पीडब्ल्यूडी ब्रिज कॉन्सटेंट के पक्ष में 30 रुपये, 000.00 (केवल तीस हजार रुपये) के बोली दस्तावेज की लागत के भुगतान के लिए ऑनलाइन रसीद की प्रति। भोपाल क्षेत्र प्राप्त हुआ है;

/

3.1 .6.2 प्राधिकरण के पास किसी भी तकनीकी बी. आई. डी. को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है जो गैर-उत्तरदायी है और प्राधिकरण द्वारा ऐसे बी. आई. डी. के संबंध में परिवर्तन, संशोधन, प्रतिस्थापन या वापसी के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

/

"धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार व्यवहार" शीर्षक वाली धारा-4 अंतर्गत खंड 4 (बी) में निहित परिभाषा खंड के साथ पढ़ा गया खंड 4 निम्नानुसार हैः

/

“ 4.1 बोलीदाता और उनके संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट और सलाहकार बोली प्रक्रिया के दौरान और एल. ओ. ए. के मुद्दे के बाद और समझौते के निर्वाह के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानक का पालन करेंगे।इसमें या एल. ओ. ए. या समझौते में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, प्राधिकरण बी. आई. डी. को अस्वीकार कर सकता है, एल. ओ. ए. को वापस ले सकता है, या समझौते को समाप्त कर सकता है, जैसा भी मामला हो, बोलीदाता के लिए किसी भी तरह से उत्तरदायी हुए बिना, यदि यह निर्धारित करता है कि बोलीदाता, प्रत्यक्ष या

अप्रत्यक्ष रूप से या एक एजेंट के माध्यम से, भ्रष्ट व्यवहार, धोखाधड़ी अभ्यास, जबरदस्ती अभ्यास, अवांछनीय अभ्यास या प्रतिबंधात्मक ए में संलग्न है।

/

/

829

द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड ए. एन. आर. v.यू. पी. स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ए. एन. आर. [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

बोली प्रक्रिया में अभ्यास।ऐसी स्थिति में, प्राधिकरण बोली दस्तावेजों और/या समझौते के अंतर्गत प्राधिकरण को उपलब्ध किसी अन्य अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बी. आई. डी. प्रतिभूति या प्रदर्शन प्रतिभूति को, जो भी मामला हो, नुकसान के रूप में जब्त करने और उपयुक्त बनाने का हकदार होगा। "

/

XXX XXX XXX

" 4.3 इस धारा 4 के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित शब्दों का क्रमशः वही अर्थ होगा जो उन्हें इसके बाद सौंपा गया हैः

/

XXX XXX XXX

(बी) "धोखाधड़ी अभ्यास" का अर्थ है बोली प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करना या छोड़ना या तथ्यों को दबाना या अधूरे तथ्यों का खुलासा करना।

परिशिष्ट आई. ए. में मुख्य अभियंता कार्यालय, पुल निर्माण क्षेत्र-भोपाल को संबोधित तकनीकी बोली वाला पत्र होता है, जिसे एक विशेष प्रारूप में भरा जाना होता है।इस पत्र के पैराग्राफ 11 और 13 महत्वपूर्ण हैं और नीचे दिए गए हैंः

/

"11. मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि देश की सुरक्षा और अखंडता के अलावा अन्य मामलों के संबंध में, हम/संयुक्त उद्यम के किसी भी सदस्य या हमारे/उनके संयुक्त उद्यम के किसी भी सदस्य को किसी विधि द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है या किसी नियामक प्राधिकरण द्वारा आरोपित या प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किए गए हैं जो परियोजना को शुरू करने की हमारी क्षमता पर संदेह पैदा कर सकते हैं या जो किसी गंभीर अपराध से संबंधित है जो समुदाय की नैतिक भावना को आहत करता है।XXX XXX XXX

/

/

13. मैं/हम आगे प्रमाणित करते हैं कि किसी नियामक प्राधिकरण द्वारा हमारे/संयुक्त उद्यम के किसी भी सदस्य के खिलाफ या हमारे सीईओ या हमारे किसी भी निदेशक/प्रबंधक/कर्मचारी के खिलाफ कोई जांच लंबित नहीं है। "

/

परिशिष्ट आई. बी. में वित्तीय बोली वाला पत्र होता है, जो एक विशेष प्रारूप में भी होता है, जिसका पैराग्राफ 2 इस प्रकार हैः

/

“2. मैं/हम स्वीकार करते हैं कि प्राधिकरण बी. आई. डी. में दी गई जानकारी और उपरोक्त परियोजना के लिए ठेकेदार के चयन के लिए बोली के साथ दस्तावेजों पर भरोसा करेगा, और हम प्रमाणित करते हैं कि बोली में दी गई सभी जानकारी सही और सही है; ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा गया है जो ऐसी जानकारी को भ्रामक बनाता है; और बोली के साथ आने वाले सभी दस्तावेज अपने-अपने मूल की सही प्रतियां हैं। "

/

"बोलीदाता का विवरण" शीर्षक वाले अनुलग्नक I में खंड 7 में निम्नलिखित शामिल हैंः

“ 7 (क) हम आगे प्रमाणित करते हैं कि किसी नियामक प्राधिकरण द्वारा हमारे/संयुक्त उद्यम के किसी सदस्य या हमारी सहयोगी संस्था के खिलाफ या हमारे सी. ई. ओ. या हमारे किसी भी निदेशक/प्रबंधक/कर्मचारी के खिलाफ कोई जांच लंबित नहीं है।

/

(ख) हम आगे प्रमाणित करते हैं कि भारत में या बाहर किसी भी जांच एजेंसी द्वारा हमारे/संयुक्त उद्यम के किसी भी सदस्य या हमारी बहन या हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या हमारे किसी भी निदेशक/प्रबंधक/कर्मचारी के खिलाफ कोई जांच लंबित नहीं है।

/

बोलीदाता और उसके संयुक्त उद्यम (जहां लागू हो) के प्रत्येक सदस्य द्वारा बोली की नियत तिथि के अनुसार वर्तमान परियोजनाओं में सामग्री गैर-प्रदर्शन या संविदात्मक गैर-अनुपालन का खुलासा करने वाला एक बयान नीचे दिया गया है (यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पत्रक संलग्न करें) आर. टी. पैरा 2.1.14 से। "

/

4. उपरोक्त परियोजना के लिए ग्यारह कंपनियों ने बोली लगाई, जिनमें यू. पी. स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ["यूपीएसबीसी"], राजकमल बिल्डर्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। ["राजकमल बिल्डर्स"] और रचना कंस्ट्रक्शन कंपनी। जहां तक यू. पी. एस. बी. सी. का संबंध है, मध्य प्रदेश राज्य ने अपनी बोली को इस आधार पर खारिज कर दिया कि बोलीदाता ने परिशिष्ट आई. ए. के पैराग्राफ 13 और अनुलग्नक I के खंड 7 (बी) के अंतर्गत आवश्यक जानकारी को दबा दिया। इसलिए, उपरोक्त बोली को गैर-उत्तरदायी माना गया।इसी तरह, जहां तक रचना कंस्ट्रक्शन कंपनी का संबंध है, यह खंड 2.2 के अंतर्गत मानदंडों को पूरा नहीं करती है।2.2((ii) एन. आई. टी. की अनुमानित परियोजना लागत के 25 प्रतिशत के "एक समान कार्य" के लिए, और इसलिए इसे गैर-उत्तरदायी भी माना जाता था।आई. डी. 2 पर आयोजित तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक में यू. पी. एस. बी. सी. की तकनीकी बोली की अस्वीकृति के बाद, 2020 की रिट याचिका संख्या 6681 यू. पी. एस. बी. सी. द्वारा दायर की गई थी और आई. डी. 1 के एक अंतरिम आदेश द्वारा, यू. पी. एस. बी. सी. की वित्तीय बोली खोलने का आदेश दिया गया था।

/

/

/

831

द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड ए. एन. आर. वी.यू. पी. स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ए. एन. आर. [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

/

5. वित्तीय बोलियों के उद्घाटन पर, यह पाया गया कि यूपीएसबीसी ने रु। <ID1 करोड़ और राजकमल ने रु। 315.80 करोड़।अयोग्य ठहराए जाने के कारण, रचना कंस्ट्रक्शन कंपनी ने रु। 293.25 करोड़ अंतर्गत विचार नहीं किया जा रहा था।

6. यूपीएसबीसी द्वारा दायर 2020 की रिट याचिका संख्या 6681 में दिनांक 15.06.2020 के आक्षेपित निर्णय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि तकनीकी बोली प्रस्तुत करने की तारीख तक, चूंकि अनुलग्नक I के खंड 7 (बी) के अर्थ के भीतर कोई जांच लंबित नहीं थी, इसलिए यूपीएसबीसी द्वारा तथ्यों का कोई दमन नहीं किया गया था, इस तथ्य के बावजूद कि

जनपद, वाराणसी में उसके द्वारा निर्मित एक विशेष पुल के संबंध में 15.05.2018 की प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जो ढह गया था, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी और 11 लोग घायल हो गए थे।इस मामले में जांच के परिणामस्वरूप आरोप पत्र दायर किया गया।मुकदमा शुरू होने के बाद, इलाहाबाद में उच्च न्यायालय ने 30.07.2019 के एक आदेश द्वारा मुकदमे पर रोक लगा दी।यू. दंड प्रक्रिया संहिता बी. सी. द्वारा प्रस्तुत बोली दस्तावेज में इन तथ्यों को नहीं बताए जाने के बावजूद, उच्च न्यायालय ने पाया कि तथ्यों का कोई दमन नहीं किया गया था, क्योंकि अनुलग्नक I के खंड 7 (बी) में केवल उन जांचों के विवरण की आवश्यकता थी जो लंबित थीं, और जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत परिभाषित "जांच" पूछताछ और परीक्षणों से अलग थी, इसलिए प्राथमिकी और उसके बाद के परिणाम का खुलासा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सख्ती से कहने पर कोई "जांच लंबित" नहीं थी, क्योंकि यह एक आरोप पत्र में समाप्त हो गई थी।उच्च न्यायालय भी इस तथ्य से प्रभावित था कि रुपये का अंतर था। यूपीएसबीसी और राजकमल की वित्तीय बोलियों के बीच 9 करोड़।इसलिए जनहित ने मांग की कि यूपीएसबीसी की तकनीकी बोली की अस्वीकृति को दरकिनार कर दिया जाए। इसलिए मध्य प्रदेश राज्य को रुपये की वित्तीय बोली के लिए यूपीएसबीसी के पक्ष में आशय पत्र ["एलओआई"] जारी करने का निर्देश दिया गया था। निर्णय की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर 306.27 करोड़।7. इस बीच, रचना कंस्ट्रक्शन कंपनी ने भी मध्य प्रदेश राज्य द्वारा अपनी तकनीकी बोली की अस्वीकृति को चुनौती देते हुए 2020 की रिट याचिका संख्या 8404 दायर की।दिनांक 02.07.2020 के आक्षेपित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने यूपीएसबीसी की रिट याचिका में दिनांकित 15.06.2020 के निर्णय को स्वीकार किया और उसके बाद यह जांच करने के लिए चला गया कि क्या रचना कंस्ट्रक्शन कंपनी की बोली को सही ढंग से खारिज कर दिया गया था।जहाँ तक रचना कंस्ट्रक्शन कंपनी की बोली का संबंध है, उच्च न्यायालय ने खंड 2.2 का उल्लेख किया।2.2(ii) अपने निर्णय के पैराग्राफ 9 में और यह अभिनिर्धारित किया कि मध्य प्रदेश राज्य की अस्वीकृति में कुछ भी गलत नहीं था, जो इस प्रकार हैः“9. योग्यता के आधार पर भी याचिकाकर्ता के पास कोई मामला नहीं है क्योंकि खंड 2.2 के अनुसार।2.2((ii) सभी निविदाएँ और याचिकाकर्ता भी थे -

/

/

/

/

/

/

/

/

[2020] 11 एस सी आर।

एक समान कार्य के पूरा होने का प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है और वर्तमान निविदा में निष्पादित कार्य का मूल्य कार्य के मूल्य का कम से कम 25 प्रतिशत होना चाहिए।खंड 2 ने कहा।2.2((ii) नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

“ 2.2.2.2((ii) सामान्य राजमार्ग परियोजनाओं के लिए

/

(प्रमुख पुलों/आरओबी/फ्लाईओवरों/सुरंगों सहित):

बशर्ते कि अनुमानित परियोजना लागत के 25 प्रतिशत का कम से कम एक समान काम रु। 68.17 करोड़ (रु। खंड 2.2.2.5 में निर्दिष्ट श्रेणी 1 और/या श्रेणी 3 में योग्य परियोजनाओं से केवल अड़सठ करोड़ सत्रह लाख) पूरे किए गए होंगे।

/

इस उद्देश्य के लिए, एक परियोजना को पूरा माना जाएगा, यदि काम के मूल्य का 90 प्रतिशत से अधिक पूरा हो चुका है और काम का ऐसा पूरा मूल्य अनुमानित परियोजना लागत के 25 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक है।यदि कोई बड़ा पुल/आर. ओ. बी./फ्लाईओवर/सुरंग परियोजना का हिस्सा है, तो एकमात्र बोलीदाता या यदि बोलीदाता एक संयुक्त उद्यम है, तो संयुक्त उद्यम का कोई भी सदस्य अनिवार्य रूप से बोली की नियत तारीख से पहले पिछले 5 (पांच) वित्तीय वर्षों में प्रमुख पुल/आर. ओ. बी./फ्लाईओवर/सुरंग के निर्माण में अतिरिक्त अनुभव प्रदर्शित करेगा, यानी कम से कम एक समान प्रमुख पुल/आर. ओ. बी./फ्लाईओवर को पूरा कर लिया होगा, जो इस परियोजना में प्रस्तावित संरचना की सबसे लंबी अवधि के 50 प्रतिशत से अधिक या उससे अधिक अवधि का होगा और सुरंग के मामले में, यदि कोई हो, तो कम से कम एक सुरंग का निर्माण पूरा कर लिया होगा जिसमें सड़कों/रेलवे/मेट्रो रेल/सिंचाई/पनबिजली के लिए एकल या जुड़वां ट्यूब (सुरंगों सहित) शामिल होंगे।इस परियोजना में कम से कम 50 प्रतिशत क्रॉस-सेक्शनल क्षेत्र और सुरंग की 25 प्रतिशत लंबाई का निर्माण किया जाना है।” उपरोक्त खंड विशेष रूप से प्रदान करता है कि प्रमुख पुलों/आर. ओ. बी./फ्लाईओवरों/सुरंगों सहित राजमार्ग परियोजनाओं के लिए, अनुमानित परियोजना लागत का कम से कम 25 प्रतिशत का एक समान काम। 68.17 करोड़ पूरे हो चुके होंगे।याचिकाकर्ता को डी. एफ. सी. सी. आई. एल., अहमदाबाद द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर भरोसा है, जिससे पता चलता है कि याचिकाकर्ता कुल अनुबंध मूल्य Rs.76,87,90,595.00 के सड़क ओवरब्रिज की 2 संख्या का निर्माण कार्य कर रहा है, इसलिए, एक सड़क ओवरब्रिज का निर्माण कुल अनुबंध मूल्य का आधा होगा।हालांकि ए

/

/

/

/

/

833

द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड ए. एन. आर. वी.यू. पी. स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ए. एन. आर. [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

हो सकता है कि याचिकाकर्ता ने दो ओवरब्रिज के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हों, लेकिन एक ओवरब्रिज की लागत 68.17 करोड़ से कम होगी जो वर्तमान कार्य का 25 प्रतिशत है।अतः मूल्यांकन समिति ने याचिकाकर्ता को गैर-उत्तरदायी घोषित करते समय कोई त्रुटि नहीं की है।इस प्रकार, गुण-दोष पर भी, याचिकाकर्ता के पास कोई मामला नहीं है।

/

10. याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील ने यह प्रस्तुत करते हुए अपनी दलीलें समाप्त कीं कि याचिकाकर्ता ने रुपये की दरों का हवाला दिया है। एल-1 की तुलना में 293.25 करोड़ यानी 3,06,27,00,000/- यानी रु। 13.00 करोड़ रुपये का उपयोग अन्य मूल्यवान परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है।जैसा कि ऊपर कहा गया है, एक बार जब याचिकाकर्ता को गैर-उत्तरदायी घोषित कर दिया जाता है, तो उसकी वित्तीय बोली और याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत दरें महत्वहीन होती हैं। "

/

8. इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि रचना कंस्ट्रक्शन कंपनी, यह जानने के बावजूद कि यूपीएसबीसी ने एक रिट याचिका दायर की थी, न तो उक्त रिट याचिका में हस्तक्षेप किया और न ही बहुत बाद तक अपने दम पर एक स्वतंत्र रिट याचिका दायर की।यह देखते हुए कि यू. पी. एस. बी. सी. को दिनांक 1 के निर्णय द्वारा एल-1 घोषित किया गया था, यू. पी. एस. बी. सी. को रिट याचिका में एक प्रतिवादी के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए था और इस तरह से प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए था, याचिका भी एक आवश्यक पक्ष के गैर-प्रतिवादी से पीड़ित थी और इसलिए इसे खारिज करना पड़ा।

/

/

9. अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री सौरभ मिश्रा ने हमें एन. आई. टी. के माध्यम से ले जाया और उसके कई खंडों पर भरोसा किया।उनका प्रमुख तर्क था कि "जांच लंबित" अभिव्यक्ति को Cr.P.C के अर्थ में नहीं लिया जा सकता है, अन्यथा उक्त खंड को अनुचित माना जाएगा।“लंबित जाँच "अनिवार्य रूप से एक अभियुक्त की आपराधिकता की दिशा में बाद के सभी कदमों को इसके दायरे में शामिल करेगी, जिसके परिणामस्वरूप अनुलग्नक I के खंड 7 (बी) में यूपीएसबीसी को भौतिक तथ्यों का खुलासा करने की आवश्यकता थी।उन्होंने "धोखाधड़ी अभ्यास" से संबंधित खंड पर भी भरोसा किया और कहा कि एक भौतिक तथ्य को छोड़ना एक धोखाधड़ी अभ्यास के बराबर होगा, और यह एक सबसे भौतिक तथ्य है, क्योंकि यूपीएसबीसी द्वारा निर्मित एक विशेष पुल ढह गया था, जिसके परिणामस्वरूप इसके खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसका खुलासा यूपीएसबीसी द्वारा नहीं किया गया था, धोखाधड़ी अभ्यास खंड के अंतर्गत भी घातक होगा।

/

/

10. यू. पी. एस. बी. सी. की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ध्रुव मेहता ने कैरेटेल इन्फोटेक के निर्णय पर बहुत भरोसा किया।

लिमिटेड वी.हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन।लिमिटेड**, (2019) 14** एससीसी **81**

/

[“ कैराटेल इन्फोटेक "], इस प्रस्ताव के लिए कि जहां एक निविदा एक में थी

834

/

[2020] 11 एस सी आर।

विशेष प्रारूप में, उस प्रारूप द्वारा आवश्यक जानकारी से परे कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है, और चूंकि वास्तव में उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई जांच लंबित नहीं थी, इसलिए अनुलग्नक I के खंड 7 (बी) को उनके मुवक्किल पर मुकदमा न करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता था।उन्होंने सचिव के निर्णय पर भी भरोसा किया।, विभाग.से

गृह सचिव।, ए. पी. वी.बी. चिन्नाम नायडू, (2005) 2 एस. सी. सी. 746, जिसमें

संबंधित याचिकाकर्ता को एक भर्ती प्रपत्र भरना था जिसमें पिछली दोषसिद्धि का उल्लेख किया जाना था।चूँकि केवल गिरफ्तार किया जाना पूर्व दोषसिद्धि नहीं होगी, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता ने अपने दोषी ठहराए जाने के तथ्य को दबा दिया है।फिर उन्होंने तर्क दिया कि किसी भी मामले में यदि खंड में कोई अस्पष्टता है तो विरोधाभास का नियम लागू होता

है, जिसके परिणामस्वरूप शाब्दिक व्याख्या, जो एक संभावित व्याख्या है, प्रबल होनी चाहिए, और इसके लिए उन्होंने उद्धृत किया

/

/

बैंक ऑफ इंडिया बनाम के. मोहनदास, (2009) 5 एससीसी 313।उसे दर्द हो रहा था।

यह इंगित करने के लिए कि अनुलग्नक I के खंड 7 (बी) के अलावा अब किसी भी आधार को धोखाधड़ी के आधार के रूप में नहीं लिया जा सकता है, जिस पर मध्य प्रदेश राज्य द्वारा इस न्यायालय में तर्क देने की मांग की गई थी, वह आधार नहीं था जिस पर यूपीएसबीसी की बोली को खारिज कर दिया गया था।उन्होंने यह भी बताया कि जनहित के लिए वित्तीय बोली को स्वीकार करने की आवश्यकता होगी, जो रु। राजकमल की तुलना में 9 करोड़ कम।

/

11. रचना कंस्ट्रक्शन कंपनी की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अनुपम लाल दास ने अपने मुवक्किल और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डी. एफ. सी. सी. आई. एल.) के बीच दो एन. ओ. एस. सड़क पुलों के निर्माण के काम के लिए दिनांकित अनुबंध समझौते पर भरोसा करते हुए दिनांकित आई. डी. 2 और आई. डी. 3 के आक्षेपित फैसलों पर हमला किया। 76.87 करोड़, जिनमें से 95 प्रतिशत पूरा हो चुका था, जिसके लिए रु। 68.71 करोड़ प्राप्त हुए थे।ऐसा होने के कारण यह वर्तमान निविदा की अनुमानित लागत का 25 प्रतिशत से अधिक है। 68.17 करोड़), वह तकनीकी रूप से योग्य थे।अधिकारियों के लिए यह पूरी तरह से गलत था कि उन्होंने एक निविदा के अंतर्गत दी गई एक परियोजना को दो में विभाजित किया, केवल इसलिए कि दो सड़क पुलों का निर्माण किया जाना था।उन्होंने यह भी कहा कि एक आवश्यक पक्ष के गैर-जॉइंडर को उनके खिलाफ नहीं ठहराया जा सकता था क्योंकि सभी तथ्यों का पता था और यूपीएसबीसी रचना कंस्ट्रक्शन कंपनी के मामले में हस्तक्षेप कर सकता था।

/

/

/

12. राजकमल की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री पुनीत जैन ने यूपीएसबीसी के मामले में निर्णय पर हमला किया और रचना कंस्ट्रक्शन कंपनी के मामले में निर्णय का समर्थन करते हुए कहा कि मध्य ए राज्य द्वारा संदर्भित और उस पर भरोसा किए गए खंडों से काफी अलग है।

/

द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड ए. एन. आर. v.यू. पी. स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ए. एन. आर. [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

प्रदेश में, यह स्पष्ट था कि परिशिष्ट आई. ए. को ठीक से नहीं पढ़ा गया था, क्योंकि पैराग्राफ 11 और 13 को एक साथ पढ़ना था।स्पष्ट रूप से पैराग्राफ 11 ने संकेत दिया कि यदि यूपीएसबीसी को एक आपराधिक मामले में "अभ्यारोपित" किया गया था, जो परियोजना को शुरू करने की इसकी क्षमता पर संदेह पैदा करेगा, तो यह यूपीएसबीसी की बोली को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त होगा।जहाँ तक रचना कंस्ट्रक्शन कंपनी का संबंध है, उन्होंने खंड 2.2 का उल्लेख किया और उस पर भरोसा किया।2.2((ii) और विशेष रूप से, खंड के बाद के भाग में, जिसके लिए आवश्यक था कि बोलीदाता को वर्तमान निविदा में बनाए जाने वाले पुल के संबंध में अतिरिक्त अनुभव प्रदर्शित करना होगा और यह दिखाना होगा कि उसने इस परियोजना में प्रस्तावित संरचना की सबसे लंबी अवधि के 50 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक अवधि का कम से कम एक समान प्रमुख पुल पूरा कर लिया है।उन्होंने डी. एफ. सी. सी. आई. एल. के लिए रचना कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा दिनांकित समझौते के अंतर्गत बनाए गए दो सड़क पुलों का उल्लेख किया, दोनों की लंबाई 2380 मीटर है।यह 7.473 किलोमीटर के 50 प्रतिशत से बहुत कम होगा, जो 3.736 किलोमीटर के बराबर होगा, और इस अतिरिक्त आधार पर भी, रचना कंस्ट्रक्शन कंपनी की बोली को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

/

/

/

13. हमने पक्षकारों के सभी विद्वान वकीलों को सुना है।वर्तमान जैसे मामलों में न्यायिक समीक्षा के मापदंडों को इस न्यायालय के कई फैसलों में अच्छी तरह से बताया गया है, जिसकी शुरुआत प्रसिद्ध निर्णयों से हुई है।

टाटा सेल्युलर बनाम भारत संघ, (1994) 6 एस. सी. सी. 651, जिसमें 3

इस न्यायालय की न्यायाधीश पीठ ने निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किएः“94. उपरोक्त से जो सिद्धांत निकाले जा सकते हैं वे हैंः

/

(1) आधुनिक प्रवृत्ति प्रशासनिक कार्रवाई में न्यायिक संयम की ओर इशारा करती है।

(2) न्यायालय अपील की न्यायालय के रूप में नहीं बैठती है, बल्कि केवल निर्णय लेने के तरीके की समीक्षा करती है।

/

(3) न्यायालय के पास प्रशासनिक निर्णय को सही करने की विशेषज्ञता नहीं है।यदि प्रशासनिक निर्णय की समीक्षा की अनुमति दी जाती है, तो यह आवश्यक विशेषज्ञता के बिना अपने स्वयं के निर्णय को प्रतिस्थापित करेगा, जो स्वयं गलत हो सकता है।

/

(4) निविदा के निमंत्रण की शर्तें न्यायिक जांच के लिए खुली नहीं हो सकती हैं क्योंकि निविदा का निमंत्रण अनुबंध के दायरे में है।आम तौर पर, निविदा स्वीकार करने या अनुबंध देने का निर्णय कई स्तरों के माध्यम से बातचीत की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है।अक्सर, इस तरह के निर्णय विशेषज्ञों द्वारा गुणात्मक रूप से किए जाते हैं।

/

836

/

[2020] 11 एस सी आर।

(5) सरकार को अनुबंध की स्वतंत्रता होनी चाहिए।दूसरे शब्दों में, जोड़ों में एक निष्पक्ष खेल एक प्रशासनिक क्षेत्र या अर्ध-प्रशासनिक क्षेत्र में काम करने वाले प्रशासनिक निकाय के लिए एक आवश्यक संगत है।हालाँकि, निर्णय का परीक्षण न केवल वेड्सबरी के तर्कसंगतता के सिद्धांत (ऊपर बताए गए इसके अन्य तथ्यों सहित) के अनुप्रयोग द्वारा किया जाना चाहिए, बल्कि पक्षपात से प्रभावित या दुर्भावना से प्रेरित मनमानेपन से निशुल्क होना चाहिए।

/

(6) निर्णयों को रद्द करने से प्रशासन पर भारी प्रशासनिक बोझ पड़ सकता है और इससे बढ़े हुए और बिना बजट के खर्च हो सकते हैं। "

/

(पृष्ठ 687-688)

14. इसी तरह, जगदीश मंडल बनाम उड़ीसा राज्य, (2007) 14

एस. सी. सी. 517, इस न्यायालय ने निर्णय दिया:“22. प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा का उद्देश्य मनमानेपन, तर्कहीनता, अनुचितता, पूर्वाग्रह और दुर्भावना को रोकना है। इसका उद्देश्य यह जांचना है कि क्या विकल्प या निर्णय "कानूनी रूप से" किया गया है और यह जांचना नहीं है कि विकल्प या निर्णय "सही" है या नहीं।जब निविदाओं या अनुबंधों के पुरस्कार से संबंधित मामलों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग किया जाता है, तो कुछ विशेष विशेषताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।एक अनुबंध एक वाणिज्यिक लेनदेन है।निविदाओं का

मूल्यांकन करना और अनुबंध देना अनिवार्य रूप से वाणिज्यिक कार्य हैं।समानता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत एक दूरी पर रहते हैं।यदि अनुबंध देने से संबंधित निर्णय प्रामाणिक है और जनहित में है, तो अदालतें न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए हस्तक्षेप नहीं करेंगी, भले ही किसी निविदाकर्ता के लिए प्रक्रियात्मक विचलन या मूल्यांकन में त्रुटि या पूर्वाग्रह बनाया गया हो।न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सार्वजनिक हित की कीमत पर निजी हित की रक्षा करने या संविदात्मक विवादों पर निर्णय लेने के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। शिकायत वाला निविदाकार या ठेकेदार हमेशा दीवानी न्यायालय में हर्जाने की मांग कर सकता है।काल्पनिक शिकायतों, घायल गर्व और व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता के साथ असफल निविदाकारों द्वारा किए गए प्रयासों का विरोध किया जाना चाहिए, कुछ तकनीकी/प्रक्रियात्मक उल्लंघन या स्वयं के प्रति कुछ पूर्वाग्रह के मोलहिल से पहाड़ बनाने के लिए, और न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करके अदालतों को हस्तक्षेप करने के लिए राजी किया जाना चाहिए।इस तरह के हस्तक्षेप, या तो अंतरिम या अंतिम, सार्वजनिक कार्यों को वर्षों तक रोक सकते हैं, या ए को राहत और सहायता में देरी कर सकते हैं।

/

/

/

/

/

837

द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड ए. एन. आर. वी.यू. पी. स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ए. एन. आर. [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

हजारों और लाखों और परियोजना की लागत कई गुना बढ़ सकती है।इसलिए, न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए निविदा या संविदात्मक मामलों में हस्तक्षेप करने से पहले न्यायालय को निम्नलिखित प्रश्न पूछने चाहिएः

(i) क्या प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया या लिया गया निर्णय दुर्भावनापूर्ण है या किसी का पक्ष लेने का इरादा है;

/

या

क्या अपनाई गई प्रक्रिया या लिया गया निर्णय इतना मनमाना और तर्कहीन है कि न्यायालय कह सकती है:"निर्णय ऐसा है कि कोई भी जिम्मेदार प्राधिकारी जो उचित रूप से और प्रासंगिक विधि के अनुसार कार्य कर रहा हो, उस तक नहीं पहुंच सकता था।

/

((ii) क्या जनहित प्रभावित होता है।

यदि उत्तर नकारात्मक हैं, तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।किसी निविदाकार/ठेकेदार को काली सूची में डालने या दंडात्मक परिणाम लागू करने या राज्य अनुदान (साइटों/दुकानों का आवंटन, लाइसेंस, डीलरशिप और फ्रेंचाइजी का अनुदान) के वितरण से जुड़े मामले एक अलग आधार पर खड़े हैं क्योंकि उन्हें कार्रवाई में उच्च स्तर की निष्पक्षता की आवश्यकता हो सकती है।" (पृष्ठ 531-532)

/

15. सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड बनामएस. एल. एल.-एस. एम. एल. (संयुक्त उद्यम संघ), (2016) 8 एस. सी. सी. 622, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

/

"47. इस चर्चा का परिणाम यह है कि बोली या बोली लगाने वाले की स्वीकृति या अस्वीकृति के मुद्दे को न केवल असफल पक्ष के दृष्टिकोण से बल्कि नियोक्ता के दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए।जैसा कि रमण दयराम शेट्टी [रमण दयराम शेट्टी बनाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण, (1979) 3 एस. सी. सी. 489] में कहा गया है कि एन. आई. टी. की शर्तों को अनावश्यक या अनावश्यक होने के रूप में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।उन्हें एक अर्थ और आवश्यक महत्व दिया जाना चाहिए।जैसा कि टाटा सेल्युलर [टाटा सेल्युलर बनाम भारत संघ, (1994) 6 एस. सी. सी. 651] में बताया गया है कि प्रशासनिक कार्रवाई में हस्तक्षेप करने में न्यायिक संयम होना चाहिए।आम तौर पर, नियोक्ता द्वारा लिए गए निर्णय की दृढ़ता पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए, लेकिन निर्णय लेने की प्रक्रिया निश्चित रूप से न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकती है।निर्णय की दृढ़ता पर सवाल उठाया जा सकता है कि क्या यह तर्कहीन या दुर्भावनापूर्ण है या किसी का पक्ष लेने का इरादा है या

/

/

/

जैसा कि जगदीश मंडल [जगदीश मंडल बनाम उड़ीसा राज्य, (2007) 14 एस. सी. सी. 517] में मिशिगन रबर [मिशिगन रबर (इंडिया) लिमिटेड बनाम मिशिगन रबर (इंडिया) लिमिटेड में निर्णय लिया गया था, "कि कोई भी जिम्मेदार प्राधिकारी उचित रूप से और प्रासंगिक विधि के अनुसार कार्य नहीं कर सकता था"।कर्नाटक राज्य (2012) 8 एस. सी. सी. 216]।48. इसलिए, एन. आई. टी. की अवधि आवश्यक है या नहीं, यह नियोक्ता द्वारा लिया गया निर्णय है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए।भले ही अवधि आवश्यक हो, नियोक्ता के पास इससे विचलन करने का अंतर्निहित अधिकार है बशर्ते कि विचलन सभी बोलीदाताओं और संभावित बोलीदाताओं पर लागू किया जाए जैसा कि रमण दयराम शेट्टी [रमण दयराम शेट्टी बनाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण, (1979) 3 एस. सी. सी. 489] में माना गया है।हालाँकि, यदि नियोक्ता द्वारा कार्यकाल सहायक या सहायक माना जाता है, तो उस निर्णय का भी सम्मान किया जाना चाहिए।उस निर्णय की वैधता पर बहुत सीमित आधारों पर सवाल उठाया जा सकता है, जैसा कि ऊपर चर्चा किए गए विभिन्न निर्णयों में उल्लेख किया गया है, लेकिन निर्णय की दृढ़ता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, अन्यथा यह न्यायालय निविदा जारी करने वाले प्राधिकरण का कार्य संभाल लेगा, जो वह नहीं कर सकता है। "

/

/

/

(पृष्ठ 638)

16. एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनामनागपुर मेट्रो रेल निगम।

/

लिमिटेड**, (2016) 16** एस**.** सी**.** सी**. 818,** प्रस्ताव को बहुत अच्छी तरह से रखता है जब यह कहता हैः

“14. हमें इस सावधानी के शब्दों को दोहराना चाहिए कि इस न्यायालय ने उस समय से कहा है जब रमण दयराम शेट्टी बनाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (रमण दयराम शेट्टी बनाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण, (1979) 3 एस. सी. सी. 489) का निर्णय लगभग 40 साल पहले लिया गया था, अर्थात्, निविदा दस्तावेजों में उपयोग किए गए शब्दों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है या अनावश्यक या अनावश्यक के रूप में नहीं माना जा सकता है-उन्हें अर्थ और उनका आवश्यक महत्व दिया जाना चाहिए।इस संदर्भ में, बोली दस्तावेजों की धारा III के खंड 4.2 (ए) में "मेट्रो" शब्द के उपयोग और सामान्य बोलचाल में इसके अर्थ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

/

/

15. हम यह जोड़ सकते हैं कि किसी परियोजना का मालिक या नियोक्ता, जिसने निविदा दस्तावेज लिखे हैं, वह इसकी आवश्यकताओं को समझने और उनकी सराहना करने और इसकी व्याख्या करने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति है।

/

839

द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड ए. एन. आर. वी.यू. पी. स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ए. एन. आर. [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

दस्तावेज़।संवैधानिक न्यायालयों को निविदा दस्तावेजों की इस समझ और प्रशंसा को तब तक टालना चाहिए, जब तक कि समझ या प्रशंसा या निविदा शर्तों की शर्तों को लागू करने में दुर्भावना या विकृति न हो।यह संभव है कि किसी परियोजना का मालिक या नियोक्ता निविदा दस्तावेजों को एक व्याख्या दे सकता है जो संवैधानिक अदालतों को स्वीकार्य नहीं है, लेकिन यह अपने आप में दी गई व्याख्या में हस्तक्षेप करने का कारण नहीं है। "

/

(पृष्ठ 825) 17.विधि के इस दृष्टिकोण को बाद में दोहराया गया है और

इसके बाद मोंटेकार्लो लिमिटेड बनाम.एनटीपीसी लिमिटेड, (2016) 15 एससीसी 272

/

(पृष्ठ 287 पर पैराग्राफ 25 देखें) और कैराटेल इंफोटेक (ऊपर) (पृष्ठ 92-93 पर पैराग्राफ 38-39 देखें)।

18. इन मापदंडों को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय को इसके लेखक द्वारा निविदा दस्तावेजों में खंडों की समझ को तब तक टालना चाहिए जब तक कि, स्पष्ट रूप से कहें तो, लेखक द्वारा दस्तावेजों के निर्माण में विकृति या दुर्भावना न हो।इसके विपरीत, श्री ध्रुव मेहता कैराटेल इंफोटेक (उपरोक्त) की ओर और विशेष रूप से पैराग्राफ 4,9,22 और 23 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने में भी सही हैं, जो नीचे दिए गए हैं:“4. अपीलार्थी ने 19-12-2017 पर ई-निविदा के संबंध में बोली प्रस्तुत की।उपर्युक्त खंड 20 के संदर्भ में, घोषणा करने के लिए एक प्रारूप प्रदान किया गया था, जो निम्नानुसार है:

/

/

“हम पुष्टि करते हैं कि हमें किसी भी सरकारी या अर्ध-सरकारी एजेंसियों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रतिबंधित या काली सूची में या सूची से हटाया या छुट्टी के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया है।_____

/

निविदाकार का नाम -_____

/

स्थानः_____ निविदाकर्ता का हस्ताक्षर और मुहरः_____ ध्यान देंःयदि किसी बोलीदाता को किसी सरकारी या अर्ध-सरकारी एजेंसी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, तो यह तथ्य है

/

840

/

[2020] 11 एस सी आर।

विवरण के साथ स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए।यदि यह घोषणा अनिर्धारित बोली के साथ नहीं दी जाती है, तो निविदा को गैर-उत्तरदायी के रूप में अस्वीकार कर दिया जाएगा। "

अपीलार्थी ने उपरोक्त शर्तों में घोषणा प्रस्तुत की जिसमें कहा गया था कि अपीलार्थी को किसी भी सरकारी या अर्ध-सरकारी एजेंसी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया था। "

/

(पृष्ठ 85)

“9. उच्च न्यायालय का निर्णय दो तथ्यों पर आधारित है-पहला, अपीलार्थी को जारी किए गए कारण बताएँ नोटिस के तथ्य का खुलासा न करना वचन का उल्लंघन है।इस मुद्दे से जुड़ा हुआ है कि निविदा का खंड 20 (iii) "पारदर्शिता और निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करने" के लिए एक अखंडता समझौते के लिए प्रदान किया गया था और उस अखंडता समझौते पर विधिवत हस्ताक्षर किए गए थे और अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया था।दूसरा, खंड पीठ ने अपीलार्थी द्वारा निविदा की धारा 4 के खंड 10 (जी) के साथ पठित खंड 8 के अनुपालन पर संदेह व्यक्त किया।यह विवाद व्यापार की निरंतरता और निविदा प्राप्त करने के उद्देश्य से एक वैध आई. एस. ओ. प्रमाणपत्र जमा करने की आवश्यकता से संबंधित खंड से संबंधित है।प्रासंगिक खंड निम्नानुसार हैंः

/

/

/

“8. व्यवसाय की निरंतरता

ओएमसी के पास वर्तमान में विभिन्न क्षेत्रों में स्थित सेवा प्रदाता के साथ इनबाउंड कॉल के लिए एक समझौता है।सफल बोलीदाता को निम्नलिखित क्षेत्रों के संबंध में सेवाओं के "शून्य" व्यवधान के साथ नए प्लेटफॉर्म और सुविधा में स्थानांतरित करने के लिए संक्रमण योजना प्रस्तुत करनी होगीः

/

(क) टोल-फ्री सेवाएँ।

(ख) आई. वी. आर. एस. आधारित कॉल हैंडलिंग।

(ग) सफल बोलीदाता के परिसर में कॉल ट्रैफिक का डायवर्जन।

/

(घ) गो-लाइव तिथि के समय प्रशिक्षित प्रचालक।*** ए.

/

841

द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड ए. एन. आर. वी.यू. पी. स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ए. एन. आर. [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

10. अन्य अनिवार्य आवश्यकताएँः

***

(छ) सुरक्षा के लिए वैध आईएसओ प्रमाणन 27001 और व्यवसाय निरंतरता के लिए आईएसओ 2301।””

(पृष्ठ 86) "22. इसमें कोई संदेह नहीं है कि खंड 20 में चार संभावनाओं का प्रावधान है, जैसा कि प्रत्यर्थी 3 के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है।वर्तमान मामला ऐसा नहीं है कि निविदा जमा करने की तारीख को अपीलार्थी को प्रतिबंधित, काली सूची में डाल दिया गया था या छुट्टी की सूची में डाल दिया गया था।इस प्रकार, हमारे सामने प्रश्न यह होगा कि काली सूची में डालने और छुट्टियों की सूची शुरू करने की कार्रवाई का क्या प्रभाव होगा।बोलीदाता द्वारा दी जाने वाली घोषणा खंड 20 (ii) में निर्दिष्ट की गई है, जो पहले तीन पहलुओं से संबंधित है।

निविदा दस्तावेजों के साथ संलग्न प्रारूप भी केवल इन तीन संभावनाओं को संदर्भित करता है। यह ऐसा मामला नहीं है जहां कोई विशिष्ट प्रारूप प्रदान नहीं किया गया है, जहां संभवतः यह तर्क दिया जा सकता है कि प्रकटीकरण सभी चार पहलुओं के संबंध में होना चाहिए।प्रारूप प्रदान किए जाने के बाद, यदि काली सूची की शुरुआत निर्दिष्ट की जानी थी, तो उसे प्रारूप में शामिल किया जाना चाहिए था।यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी द्वारा दिए गए वचन ने अपीलार्थी का यह बाध्यकारी कर्तव्य बना दिया है कि वह काली सूची में डालने के लिए कारण बताए जाने के नोटिस के पहलू का खुलासा करे।हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रदान किए गए विशिष्ट प्रारूप के साथ एक विशिष्ट खंड है, जिसके लिए उसी के अनुसार प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है।

/

/

/

/

23. यह तर्क देना संभव हो सकता है कि प्रारूप सही ढंग से नहीं बनाया गया है।लेकिन फिर, यह उत्तरदाता 1 द्वारा प्रारूप तैयार करने की समस्या है।ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी 1 ने भी, तथ्यात्मक स्थिति का सामना करते हुए, एक सुविचारित दृष्टिकोण अपनाया कि चूंकि खंड 20 (i) में चार घटनाओं के लिए प्रावधान किया गया है, जबकि प्रारूप में इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है, इसलिए अपीलार्थी को दंडित नहीं किया जा सकता है।हो सकता है, भविष्य के लिए प्रारूप में एक उचित संशोधन की आवश्यकता होगी! "

/

/

(पृष्ठ 89) 19.यह स्पष्ट है कि श्री ध्रुव मेहता सही हैं जब वे इस प्रस्ताव के लिए उपरोक्त निर्णय का उल्लेख करते हैं और उस पर भरोसा करते हैं कि कहाँ

/

एक प्रारूप है जिसका कड़ाई से पालन किया जाना था, उसके मुवक्किल को उपरोक्त प्रारूप को शाब्दिक रूप से पढ़ने के लिए न्यायोचित ठहराया गया था, जिसमें केवल एन. आई. टी. के

अनुलग्नक I के खंड 7 (बी) के अंतर्गत लंबित जांच का खुलासा करने की आवश्यकता थी। हालांकि, जैसा कि श्री सौरभ मिश्रा और श्री पुनीत जैन ने सही बताया है, अनुलग्नक I के खंड 7 (बी), जो कि परिशिष्ट I के अनुच्छेद 13 के समान है, को उसके अनुच्छेद 11 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जो कि, जैसा कि ऊपर बताया गया है, बोली लगाने वाले से यह प्रमाणित करने की आवश्यकता है कि देश की सुरक्षा और अखंडता के अलावा अन्य मामलों के संबंध में, बोली लगाने वाले को विधि द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है।स्पष्ट रूप से वर्तमान मामले के तथ्यों में, हालांकि जांच अब लंबित नहीं है और हालांकि विधि की अदालत द्वारा कोई दोषसिद्धि नहीं है, यूपीएसबीसी को निश्चित रूप से "अभ्यारोपित" किया गया है, इसमें इसके खिलाफ एक आरोप पत्र दायर किया गया है जो दिनांकित 15.05.2018 की प्राथमिकी से संबंधित है जिसमें एक मुकदमा लंबित है, हालांकि उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई है।श्री सौरभ मिश्रा का यह कहना भी सही है कि एन. आई. टी. के खंड 4.3 (बी) में परिभाषित "धोखाधड़ी प्रथा" में बोली प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए तथ्यों को छोड़ना या अधूरे तथ्यों का खुलासा करना शामिल होगा।वर्तमान मामले के तथ्यों में, स्पष्ट रूप से एक सबसे प्रासंगिक तथ्य को छोड़ दिया गया है और उसी तथ्य का दमन किया गया है, अर्थात् यूपीएसबीसी के खिलाफ एक पुल के निर्माण के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जो ढह गया था, और जिसमें एक आरोप पत्र दायर किया गया था।

/

/

/

20. यह मामला है, सचिव।, विभाग.गृह सचिव।, ए. पी. बनामबी. चिन्नाम नायडू, (2005) 2 एस. सी. सी. 746 स्पष्ट रूप से अलग है, जैसा कि

/

उस मामले के तथ्यों के अनुसार, "दोषी" अभिव्यक्ति में संभवतः गिरफ्तारी का तथ्य शामिल नहीं हो सकता था जो पूर्व-दोषसिद्धि थी।वर्तमान मामले के तथ्यों पर, हमने देखा है कि कैसे यूपीएसबीसी ने धोखाधड़ी की है और इस तथ्य को दबा दिया है कि उसे एक पुल के निर्माण से संबंधित अपराधों के लिए अभ्यारोपित किया गया था, जो ढह गया था।समान रूप से, विनूभाई हरिभाई के निर्णय के पैराग्राफ 12 से 18 तक

/

मालवीय बनाम गुजरात राज्य, (2019) 17 एस. सी. सी. 1, जो अंतर करता है।

आपराधिक मामले में जांच, जांच और मुकदमे के बीच, ऊपर दिए गए निष्कर्षों को देखते हुए यूपीएसबीसी के लिए भी कोई लाभ नहीं है।समान रूप से, बैंक ऑफ इंडिया बनाम के. मोहनदास, (2009) 5 एस. सी. सी. 313 (पैराग्राफ 32 पर) में व्याख्या के रूप में

विरोधाभासी नियम का भी कोई लाभ नहीं है, इस तथ्य को देखते हुए कि धोखाधड़ी अभ्यास खंड और परिशिष्ट आई. ए. के पैराग्राफ 11 के संबंध में कोई अस्पष्टता नहीं है।

/

/

843

द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड ए. एन. आर. वी.यू. पी. स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ए. एन. आर. [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

/

21. श्री ध्रुव मेहता के इस तर्क को स्वीकार करते हुए कि उनके मुवक्किल को केवल अनुलग्नक I के खंड 7 (बी) के आवेदन पर गैर-उपयुक्त माना गया है, तकनीकी मूल्यांकन समिति के दिनांकित 13.03.2020 के आदेश के संदर्भ में यूपीएसबीसी की बोली को गैर-उत्तरदायी घोषित करने से पता चलता है कि यह विशेष रूप से तकनीकी बोली और उसके पैराग्राफ 13 वाले परिशिष्ट आई. ए. को भी संदर्भित करता है।हम पहले ही यह मान चुके हैं कि अनुच्छेद 13 को अनुच्छेद 11 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक व्यक्ति जिसे आपराधिक अपराध के लिए "अभ्यारोपित" किया गया है, उसे अभियोग के तथ्य का खुलासा करना होगा।अस्वीकृति आदेश के आधार पर एक तकनीकी आपत्ति को एक सबसे भौतिक तथ्य के दमन के सामने प्रबल होने की अनुज्ञात नहीं दी जा सकती है, जो कि यूपीएसबीसी द्वारा एक पुल के निर्माण से संबंधित एक प्राथमिकी है, जो ढह गई है।

/

/

22. जनहित कारक पर आते हैं, और तथ्य यह है कि यूपीएसबीसी की वित्तीय बोली लगभग रु। राजकमल की तुलना में 9 करोड़ रुपये कम, स्टिंग को हटा दिया गया है क्योंकि श्री पुनीत जैन आसानी से स्वीकार करते हैं कि यदि यूपीएसबीसी के अयोग्य होने के परिणामस्वरूप, उनके मुवक्किल को निविदा प्रदान की जाती है, तो वह यूपीएसबीसी की वित्तीय बोली के समान राशि पर ऐसा करेंगे। इन सभी कारणों से, दिनांकित 15.06.2020 के आक्षेपित निर्णय को दरकिनार कर दिया गया है।

/

23. अब हम रचना कंस्ट्रक्शन कंपनी के मामले पर आते हैं।जहाँ तक रचना कंस्ट्रक्शन कंपनी का संबंध है, यह एक संवैधानिक न्यायालय के लिए, यहाँ ऊपर उद्धृत सभी निर्णयों के अनुसार, निविदा प्राधिकरण के दृष्टिकोण के बारे में अपने विचार को प्रतिस्थापित करने के लिए खुला नहीं होगा, जब वह खंड 2.2 पढ़ता है।2.2((ii) जिस तरह से किया गया है।यह कहने के

लिए पर्याप्त है कि "कम से कम एक समान काम" अभिव्यक्ति का अर्थ संभवतः केवल एक ऐसा काम हो सकता है, अर्थात् एक ऐसे पुल का निर्माण और दो ऐसे पुलों का निर्माण नहीं, भले ही एक ही निविदा दस्तावेज के अंतर्गत दो पुलों का निर्माण किया जाना था।इसलिए, इस न्यायालय के लिए यह कहना संभव नहीं है कि निविदा प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त खंड का निर्माण एक असंभव है जो इसे विकृत बनाता है।इसके अलावा, श्री पुनीत जैन का तर्क, हालांकि पहली बार यहां दिया गया है, मध्य प्रदेश राज्य का समर्थन करता है, कि डी. एफ. सी. सी. आई. एल. और रचना कंस्ट्रक्शन कंपनी के बीच समझौते के अंतर्गत बनाए गए दो सड़क पुलों की अवधि केवल 2380 मीटर है, जो निश्चित रूप से 7.473 किलोमीटर के 50 प्रतिशत से भी कम है। इन कारणों से, हम रचना कंस्ट्रक्शन कंपनी की एसएलपी को खारिज करते हैं और 02.07.2020 दिनांकित निर्णय और 04.08.2020 दिनांकित समीक्षा निर्णय को बरकरार रखते हैं।

/

/

/

24. न्यायालय ी कार्यवाही में लगने वाले समय को देखते हुए, मध्य प्रदेश राज्य को व्यावहारिक रूप से जल्द से जल्द एल. ओ. आई. जारी करने का निर्देश दिया जाता है।

/

जहां तक वर्तमान निविदा का संबंध है, यू. पी. एस. बी. सी. के समान वित्तीय बोली पर राजकमल के लिए संभव है। सभी अपीलों का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

अंकित ज्ञान

अपीलों का निपटारा किया गया।

/

/

/

/

/

/

/